कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
क्रमांकः– एफ 22 (6) लेखा/अंमि/प्रमुवसं/2016–17/851–67 दिनांकः–27/4/2017

समस्त मुख्य वन संरक्षक।

विषयः– कोष एवं वर्क्स का अंकमिलान वर्ष 2016–17 करने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय का वर्ष 2016–17 का कोष एवं वर्क्स लेखों का अंकमिलान कार्य निर्धारित दिनांक के आधार पर पूर्ण किया जाना आवश्यक है ताकि स्थानान्तरण प्रविष्टि महालेखाकार राजस्थान, जयपुर कार्यालय में समय पर प्रस्तुत की जा सकें। **अपने अधीनस्थ कार्यालय को अंकमिलान से संबंधित लेखाकार/लेखाकर्मी को पाबन्द करें कि वे अपने साथ निम्न सूचनाऐं साथ लेकर मुख्यालय (अरण्य भवन) के कमरा नं. 310 में उक्त निर्धारित दिनांक के अनुसार प्रातः 11.00 बजे आवश्यक रूप से उपस्थिति होवें।**

1. वर्ष 2016–17 की अवधि के व्यय मानचित्र (कोष एवं वर्क्स) की कार्यालय प्रतियां साथ लावें।
2. आपके कार्यालय का प्रतिनिधि अंक मिलान की जानकारी रखने वाला होना चाहिए जिससे किसी प्रकार की सूचना चाहने पर तत्काल उसका जवाब दे सकें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि को अंक मिलाने के समय में पूर्ण किया जा सकें।
3. अंक मिलान हेतु निम्न प्रपत्र में, सूचना आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।

क्र. सं.	लेखामद	आवंटित बजट	वास्तविक रूप से किये व्यय की राशि			विशेष विवरण
			कोष	वर्क्स (वॉम)	योग	

अंकमिलान पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में कोष एवं वर्क्स की अलग–अलग स्थानान्तरण प्रविष्टि मुख्यालय के अंकमिलान प्रभारी को देकर जावें।

कार्यालय हाजा के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त निर्धारित दिनांक के अनुसार ही आपको रिकार्ड उपलब्ध कराया जावेगा। यदि आपके कार्यालय का प्रतिनिधि वर्णित दिनांक के अनुसार उपस्थिति नहीं होने पर मिलान नहीं कराया जावेगा। कार्यालय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि कार्यालय द्वारा कोई टी.ई. प्रस्तावित नहीं है एवं महालेखाकार कार्यालय में दर्ज आंकडे ही सही है। अतः अंकमिलान कार्य नहीं किए जाने पर जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

विशेष नोटः–1. आवंटित बजट की प्रति अंक मिलान हेतु अवश्य साथ लावें।
2. मद 8550–101–वन अग्रिम एवं मद 8443–109–वन जमा का अंकमिलान एवं महालेखाकार कार्यालय से जारी प्रमाण–पत्र भी साथ लावें। यदि प्रमाण–पत्र नहीं है तो उसी दिन महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त करें।

भवदीय
–sd–
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– एफ 22 (6) लेखा/अंमि/प्रमुवसं/2016–17/ 868–964 दिनांकः–27/4/2017
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित समय सारणी अनुसार अंकमिलान करने हेतु प्रतिनिधि को पाबन्द करावें।
3. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर (मुख्यालय) को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

26/4/2017
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग, राजस्थान जयपुर।

वर्क्स एवं कोष अंकमिलान हेतु निर्धारित समय सारणी

(वर्ष 2016–17 तक)	
दिनांक	ट्रेजरी
08.05.2017	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, टोंक, नागौर
09.05.2017	बूंदी, चित्तौडगढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुझंनू, जालौर, झालावाड़, सीकर, सवाईमाधोपुर
10.05.2017	जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, राजसमन्द, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर
11.05.2017	जयपुर, जैसलमेर

E:\reconsi.leterDoc1.docx